उत्तराखंड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
dेरारूपण : दिनांक: 04 मार्च, 2018

अविस्मरण

खण्डों के अधिकतर परिवेश एवं मंदिर पर भ्रमणीय नियंत्रण किये जाने तथा राजस्व शास्त्र को रोकने तथा खानीज मंदिर पर की प्रविष्टिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य एवं अधिकारियों को विबद्ध किये जाने के लिए अधिसूचना संख्या-96/VII-1/2015/158-ख/2004 दिनांक 22 जनवरी, 2016 द्वारा उत्तराखंड खण्डन (अधिक खानन, परिवेश एवं मंदिर का नियंत्रण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2015 में कृतिपत्र अतिरिक्त प्रविष्टिया तथा संशोधन किये गये। उत्तराखंड खण्डन (अधिक खानन, परिवेश एवं मंदिर का नियंत्रण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2015 में निर्देश और अधिकारियों के साथ की श्री राजपूताना महादेव स्वर्ण स्वीकृति प्रदान करते हैं की दीय: --

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्तमान प्रविष्टिया</th>
<th>एकदमाहिने प्रविष्टिया प्रविष्टिया</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>नियम-8(1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खानीजों के मंदिर पर की अनुश्रवण हेतु आवेदन करने भी यथावतं संस्था तथा कम्युनिटी संबंधित जनपद के जेलख खान अधिकारी / खान अधिकारी को प्रविष्टि-&quot;एम&quot; में सारे प्रातिविधियों में संलग्न अनुसूची में इंगित अद्वितियों के साथ, प्रथापत किया जायेगा। आवेदक द्वारा व्यापार कर विभाग से विज्ञप्त करता भूलता एवं खानिकम विभाग से खानीज अन्वेषण नहीं होता का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कराना होगा, इस हेतु राष्ट्र तथा मामला नहीं होगा। आवेदक की एक प्रति पालिका के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दिया जायेगा। संबंधित जेलख खान अधिकारी / खान अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र का संग्रहको सत्यता के परिसर कर अद्वितिय पूर्ण होने के उपरात्त स्थायी निरीक्षण की कार्यवाही हेतु संबंधित जिलाधिकारी को सांदर्भिक किया जायेगा। खानीज मंदिर के आवेदन हेतु परिवर्ती क्षेत्र (Zone-A) हेतु न्यूनतम क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 200 वर्ग मीटर, मध्य परिवर्ती क्षेत्र (Zone-B) हेतु न्यूनतम क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र 300 वर्ग मीटर तथा मेदिनी क्षेत्र (Zone-C) हेतु न्यूनतम क्षेत्र क्षेत्र 500 वर्ग मीटर तथा उक्त के अतिरिक्त परिवर्ती क्षेत्र (Zone-A), मध्य परिवर्ती क्षेत्र (Zone-B) तथा मेदिनी क्षेत्र (Zone-C) हेतु वाहन के तीन निशीं हेतु अतिरिक्त क्रमशः 50 वर्ग मीटर, 75 वर्ग मीटर एवं</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
नियम-8(2) ऐसे प्रयोक्त आवेदन के साथ नियमानुसार आवेदन शुल्क देना होगा।

1. पवित्रिय क्षेत्र (Zone-A) :- खिनिज भंडारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.25 लाख (२० पच्चीस हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.25 लाख (२० पच्चीस हजार) आवेदन शुल्क देना होगा।

2. मध्य पवित्रिय क्षेत्र (Zone-B) :- खिनिज भंडारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.50 लाख (५० पच्चीस हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.50 लाख (५० पच्चीस हजार) आवेदन शुल्क देना होगा।

3. मैदानी क्षेत्र (Zone-C) :- खिनिज भंडारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिए आवेदन शुल्क रूपये 0.60 लाख (६० पच्चीस हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त रूपये 0.60 लाख (६० पच्चीस हजार) आवेदन शुल्क देना होगा।

राज्य में स्वीकृत स्टोन कैसर, स्कीनिङ प्लांट, पत्थराधार धारक एवं मोबाइल स्टोन कैसर धारक, सोपस्टोन पट्टा धारक एवं सोपस्टोन ट्रेडर, उपखातिज बालु, बजरी, बोल्टर के पट्टाधारक, बालू, बजरी, बोल्टर, ग्रीट आदि के रिटेल भंडारण हेतु आवेदनकर्ता को उक्तानुसार आवेदन शुल्क देना होगा।
नियम-11-च अनुज्ञातिधारक भण्डारण स्थल के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक तील मशीन स्वयं के व्यय से अनिवार्य रूप से स्थापित करेगा। अनुज्ञातिधारक स्वयं के व्यय से इलेक्ट्रॉनिक तील मशीन को भूतल्ल एवं खानिक विभाग के सर्विलान्स सिस्टम से लिख करें हुए उसका निर्वाह रूप संचालन करना सुनिश्चित करेगा। 1000 धननियत से अधिक खानिज भण्डारक यादों को सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग सहित अपने व्यय से प्रवेश एवं निकासी द्वारा पर लगाया जाना अनिवार्य होगा और उसकी रिकार्डिंग संचित करेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा माने जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

परसुक जनपद चामपावल में शारदा नदी के टनकपुर क्षेत्र में उपज्ञातिज के रिटेल भण्डारण हेतु मैदानी क्षेत्र (Zone-C) हेतु नियमानुसार आवेदन शुल्क ₹ 60,000.00 के स्थान पर ₹ 25,000.00 दे जा होगा।

आजा से,
(श्रीमत बाबू अद्वैती) अपर सचिव